

राजस्थान – सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार –कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।  
क्रमांक : राजपत्रित / सामान्य / प-15 / 2010 / दिनांक :

- 1 समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
राजस्थान।
- 2 समस्त संयुक्त निदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
जोन–जयपुर / कोटा / जोधपुर / उदूर्धपुर  
बीकानेर / अजमेर / भरतपुर
- 3 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,  
राजस्थान।

**विषय :** आपके अधीन कार्यरत अधिकारी जो लम्बे समय से ड्यूटी पर अनुपस्थित रहते हैं की सूचना भिजवाने बाबत।

**सन्दर्भ :** शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा आपको पूर्व में प्रेषित आदेश क्रमांक प.7(4) विस्वा/2/10 जयपुर, दिनांक 14.10.10 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि आपको पूर्व में सन्दर्भित पत्र द्वारा लिखा गया था कि जो चिकित्सक लम्बे समय से ड्यूटी पर अनुपस्थित रहते हैं, की सूचना सन्दर्भित पत्र के प्रोफार्मा में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भिजवाये जाने हेतु लिखा गया था जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

अतः सूचना हर माह समय पर भिजवाना आप अपने स्तर से सुनिश्चित करें।

अति० निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित / सामान्य / प-15 / 2010 / ८१७ दिनांक : १०।१५।१०

प्रतिलिपि : प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त पत्र को विभाग की वैबसाइट पर ड्लोड करावें।

  
अति० निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।